



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032022-234410
CG-DL-E-23032022-234410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]
No. 217]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2022/चैत्र 2, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/CHAITRA 2, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति, नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति.-

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में निम्नलिखित अंशकालिक सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(1) श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(2) डा. कविता प्रसाद, महानिदेशक (वाणिज्यिक-1), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(3) सुश्री सुधा बालाकृष्णन, मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक

(4) श्री अमरजीत सिंह, कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

(5) अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

- (6) अध्यक्ष, लेखांकन मानक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
(7) अध्यक्ष, लेखापरीक्षण एवं बीमा मानक बोर्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान।

[फा. सं. एनएफआरए-05/6/2018-एनएफआरए-एमसीए]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2022

G.S.R. 220(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time members, Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Appointment of Part-time member.-**

The National Financial Reporting Authority shall consist of the following Part-time members, namely:-

- (1) Shri KVR Murty, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs
- (2) Dr. Kavita Prasad, Director General (Commercial-I), Comptroller and Auditor General
- (3) Ms. Sudha Balakrishnan, Chief Financial Officer, Reserve Bank of India
- (4) Shri Amarjeet Singh, Executive Director, Securities and Exchange Board of India
- (5) President, Institute of Chartered Accountants of India
- (6) Chairperson, Accounting Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India
- (7) Chairperson, Auditing and Assurance Standards Board, Institute of Chartered Accountants of India.

[F. No. NFRA-05/6/2018-NFRA-MCA)

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.